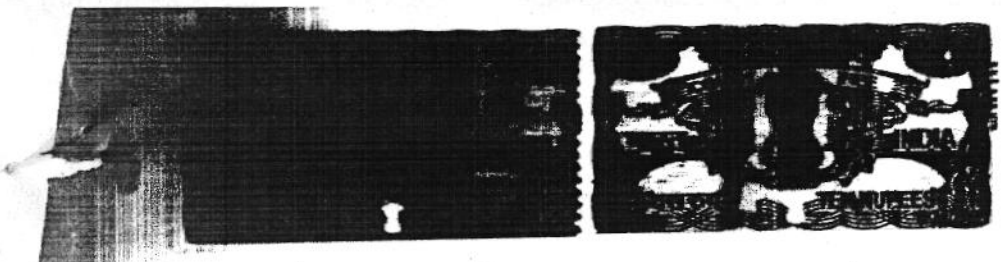

568

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/0716

महेशबाबू पुत्र श्री शेरसिंह, आयु– 36 वर्ष, जाति– कुरमी, व्यवसाय– कृषि, निवासी– ग्राम पूनाखेड़ी, तहसील कुरवाई, जिला– विदिशा (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

मौजीलाल पुत्र श्री हरिया, आयु– 60 वर्ष, जाति– धानक, व्यवसाय– मजदूरी, निवासी– ग्राम दुधावरी, तहसील कुरवाई, जिला– विदिशा (म.प्र.) ....अनावेदक

श्री टी.सी. सरवटिया, श्री के. तिवारी द्वारा आज दिनांक 27-1-2018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 29.12.2017 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण क्र. 59/अपील/16–17

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है –

<u>प्रकरण के तथ्य</u> :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम सतोह तहसील कुरवाई के सर्वे क्र. 246/1ख रकवा 1.578 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2002 के द्वारा क्रय की गई थी एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी क्रमांक 6 आदेश दिनांक 11.09.2002 के द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया एवं राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हुआ।
2. यहकि, नामांतरण आदेश दिनांक 11.09.2002 को अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष लगभग 16 साल बाद अपील में इस आधार पर चुनौती दी गई कि अनावेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और लगभग 20 वर्ष पूर्व उसे शासकीय भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ था इस कारण वह शासकीय पट्टेदार की हैसियत से प्रश्नगत आराजी पर भूमि स्वामी हुआ था।
3. यहकि, अपील में यह भी आधार लिया कि अनावेदक दो वर्ष पूर्व बीमार हुआ था तो उसे रूपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रश्नगत आराजी ठेके पर आवेदक

XXIX(a)-BR(H)-11

568

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/716

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	